।। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 11/2022 **GCMS NO 2022/45**

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
बलवन्तसिंह पुत्र श्री पूंजरासिंह के कायम प्रेमसिह, डूंगरसिंह पिसरान बलवन्तसिंह के कायम मुकाम– 1. लूणसिंह पुत्र डूंगरसिंह उम्र 50 साल जाति राजपुत निवासी ग्राम बैरसियाला 2. जयसिंह पुत्र डूंगरसिंह उम्र 48 साल जाति राजपुत निवासी ग्राम बैरसियाला		तहसीलदार जैसलमेर जरिये राजस्थान सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरण संख्या 03 स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 जो नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :

1. श्री केशर सिंह भाटी अपीलांट की ओर से
2. नायब तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज

निर्णय **दिनांक : 01–03–2023**

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के दादा बलवन्तसिंह पुत्र पूंजराजसिंह जाति राजपूत निवासी बैरसियाला के नाम से मौजा बैरसियाला के खसरा संख्या 129, 200, 420, 527, 713, 715, 730, 748, 847, 866, 907 कुल खसरा नं. 11 में कुल रकबा 596 बीघा 03 बिसवा भूमि खातेदारी दर्ज थी। तहसीलदार जैसलमेर द्वारा कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी उप जिलाधीश जैसलमेर के मुकदमा संख्या 29/74 अनवान सरकार बनाम बलवन्तसिंह अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत वाद पेश किया। मान्य न्यायालय द्वारा वाद दर्ज किया जाकर अधिक भूमिधारी को धारा 11 उपधारा 1 के तहत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली अंतिम आदेशिका दिनांक 21.03.1975 को पेश हुई। मान्य न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिक भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 के घोषणा पत्र की जांच तहसीलदार द्वारा की गई, जिसके अनुसार अधिक भूमिधारी के परिवार में दो अतिरिक्त ईकाईया होने से नियमानुसार भिन्न ईकाई को 175 एकड़ रेतीली भूमि की छूट दिये जाने के उपरांत कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण हेतु शेष नही रहती, अतः पत्रावली पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। नियम बी के अंतर्गत अंतिम विवरण प्रकाशित किया जाये, अधिक भूमिधारी को भेजा जावे एवं पत्रावली अभिलेखागार में जमा करवायी जावें, के आदेश सुनाएँ गए, परन्तु नामान्तकरण संख्या 03 नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिनांक 05.06.1976 को स्वीकृत कर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अपीलांट के दादा के नाम से मौजा बैरसियाला में दर्ज खातेदारी भूमि मे से नये खसरा संख्या 730/1105 रकबा 71–03 बीघा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

सिलिग्रा आदेश अनुसार बताकर अवाप्त की गई तथा भूमि अर्जुनसिंह पुत्र श्री हड़वन्तसिंह जाति राजपूत निवासी काठा को आवंटित की गई। जिसके विरूद्ध विभिन्न कारणों एवं आधारों पर उक्त अपील मान्य न्यायालय में पेश की गई जिसमें आधार एवम् कारण निम्न अनुसार अंकित किए है:—

1. यह है कि नामान्तरण संख्या 03 नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 विधि विरूद्ध, कानून विरूद्ध अभिलेख संचिका के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है।
2. यह है कि नामान्तरण संख्या 03 नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पारित किया गया हैं तथा नामान्तरण संख्या 03 के कालम संख्या 16 में कोई आदेश/राजस्व/क्रमांक/दिनांक/न्यायालय का नाम अथवा प्राधिकृत अधिकारी का आदेश आदि वर्णित नहीं किया गया है जो विधि विरूद्ध, कानून विरूद्ध अभिलेख संचिका के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है।
3. यह है कि न्यायालय उप जिलाधीश जैसलमेर द्वारा मुकदमा संख्या 29/74 सरकार बनाम बलवन्तसिंह निर्णय दिनांक 29.03.1975 निर्णित किया है कि पत्रावली प्रस्तुत हुई तथा राजकीय अभिभाषक उपस्थित रहे तथा अधिक भूमिधारी के वकील राणसिंह उपस्थित रहें। बहस सुनी गई। अधिक भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 के घोषणा पत्र की जांच तहसीलदार द्वारा करवायी गई जिसके अनुसार अधिक भूमिधारी के परिवार में दो अतिरिक्त ईकाईया होने से नियमानुसार भिन्न ईकाई को 175 एकड़ रेतीली भूमि की छूट दिये जाने के उपरांत कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण हेतु शेष नही रहती, अतः पत्रावली पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। नियम बी के अंतर्गत अंतिम विवरण प्रकाशित किया जाये। अधिक भूमिधारी को भेजा जावे एवं पत्रावली अभिलेखागार में जमा करवायी जावें। निर्णय समक्ष न्यायालय सुनाया गया। तथा तहसीलदार जैसलमेर ने अपनी जांच में बताया है कि भूमिधारी के अधिकार कुल रकबा 596 बीघा 03 बिसवा भूमि है एवं परिवार में कुल 06 सदस्य हैं। जिसमें उनके स्वयं के अलावा उनके दो बच्चे अव्यस्क है एवं 02 बच्चे व्यस्क है। उक्त अधिनियम की धारा 4 (च) के अनुसार परिवार की एक ईकाई हेतु जिसमें पति पत्नी एवं तीन अव्यस्क बच्चे हो, 437—10 बीघा की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। तथा प्रत्येक तीन से अधिक अव्यस्क बच्चे हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा 437—10 बीघा का प्रत्येक 87—10 बीघा भूमि और दिये जाने का प्रावधान है।

तदनुसार भूमिधारी अपने परिवार हेतु निम्न भूमि अपने अधिकार में रखने हेतु सक्षम है।
स्वयं, पत्नी एवं तीन अव्यस्क बच्चों हेतु 437—10 बीघा
02 व्यस्क पुत्र हेतु 437—10 गुणा 02 बराबर 875—00 बीघा
02 अव्यस्क बच्चों हेतु 87—10 बीघा गुणा
कुल रकबा:— 1312 बीघा 10 बिस्वा

इसके विपरीत भूमिधारी के पास कुल रकबा 596—03 बीघा भूमि हैं, जो उनके लिये निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है। जिसके अनुसार अधिक भूमिधारी के परिवार में दो अतिरिक्त ईकाईयां होने से नियमानुसार भिन्न ईकाई को 175 एकड़ रेतीली भूमि की भूमि छूट दिये जाने के उपरान्त कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण हेतु शेष नहीं रहती, का आदेश मान्य न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

द्वारा दिनांक 21.03.1975 को सरे इजलास सुनाया गया। प्राधिकृत अधिकारी उप जिलाधीश जैसलमेर ने उक्त प्रकार अपीलान्ट के दादा के पक्ष में निर्णय पारित करने के उपरान्त भी हलका पटवारी बैरसियाला राजस्व निरीक्षक सम तथा नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 शून्य एवं शून्यकरणीय होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है तथा अपीलांट अपने नाम से राजस्व रेकर्ड को कायम करने का न्यायोचित आदेश पारित करवाने के कानूनन अधिकारी है।

4. यह है कि नामान्तरण संख्या 03 नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 विधि विरूद्ध, कानून विरूद्ध अभिलेख संचिका के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से पारित किया गया है, जो नल एण्ड वोईड है तथा जिसमें म्याद का बिन्दु लागु नही होता है। अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 20.08.2020 को जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित नकलो का आवेदन किया तथा दिनांक 27.08.2020 के 30 दिवस के अंदर म्याद प्रस्तुत है। जिसे न्यायहित में स्वीकार करने का न्यायोचित आदेश पारित करावें।

5. यह है कि नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 नल एंड वोईड होने से तथा उसके पश्चात किये गये सिलिंग आवंटन तथा राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक किये गये समस्त अमल दरामद विधि विरूद्ध, कानून विरूद्ध अभिलेख संचिका के विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध तथा अभिलेख संचिका के विरूद्ध तथा सक्षम न्यायालय के निर्णय डिक्री एवं आदेश के बिना पारित होने के कारण अपीलान्ट के हितो के विरूद्ध कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 को खारिज फरमाया जावें। तथा नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 राजस्व रेकर्ड की पूर्व स्थिति को कायम रखते हुए अपीलान्ट के नाम से खातेदारी दर्ज करने का न्यायोचित आदेश पारित करावें।

अतः अपील अपीलान्ट द्वारा में प्रस्तुत कर मौजा बैरसियाला के नामान्तरण संख्या 03 नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 खसरा संख्या 730/1105 में रकबा 71–03 बीघा खारिज फरमाया जावे तथा नामान्तरण संख्या 03 स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 से पूर्व के राजस्व रेकर्ड की स्थिति कायम रखी जावें। तथा अपीलान्ट के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने व खातेदारी दर्ज करने का न्यायोचित आदेश पारित किए जाने का अनुतोष चाहा गया।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज कर रेस्पोण्डेण्ट का नोटिस जारी किया गया रेस्पोण्डेण्ट की और से अपना जवाब दिनांक 16.08.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि अपील के पैरा संख्या 1 राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही है एवम् सत्य होने से स्वीकार है। नामान्तरण सख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 कानून विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है।
2. यह है कि अपील के पैरा संख्या 02 राजस्व अभिलेख एवं निर्णय अनुसार सही एवं सत्य वर्णित होने से स्वीकार है नामान्तरण संख्या 03 के कॉलम संख्या 16 में कोई आदेश वर्णित नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

3. यह है कि अपील के पैरा संख्या 03 राजस्व अभिलेख अनुसार सही व सत्य है, न्यायालय उप जिलाधीश जैसलमेर द्वारा मुकदमा संख्या नं. 29/1974 सरकार बनाम बलवन्त सिंह निर्णय दिनांक 21.03.1975 में निर्णित किया है कि भूमिधारी के पास कुल 596 बीघा 03 बिस्वा भूमि है भूमिधारी के परिवार में दो अतिरिक्त इकाईयां होने से नियमानुसार प्रत्येक भिन्न इकाई को 175 एकड़ रेतीली भूमि की छूट दिये जाने के उपरान्त कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण हेतु शेष नहीं रहती, अतः भूमिधारी से कोई भूमि अवाप्त/अधिग्रहित नहीं की जा सकती है। इस कारण नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 शून्य एवं शुन्यकरणीय होने से प्रथम दृष्टया खारिज है।
4. यह है कि अपील के पैरा सही एवं सत्य वर्णित होने से स्वीकार है। नामान्तरण संख्या 03 द्वारा नायब तहसीलदार जैसलमेर स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के बिना पारित किया गया है। जो नल एवं वोइंड है तथा जिसमें म्याद कि अवधि लागू नहीं होती है।
5. यह है कि अपील के पैरा संख्या 05 राजस्व रेकर्ड अनुसार सही एवं सत्य वर्णित होने से स्वीकार है तथा नामान्तरण संख्या 03 स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 व उसके बाद के समस्त कार्यवाही व राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है तथा नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 के पूर्व के राजस्व रेकर्ड की स्थिति कायम करते हुए अपीलांट के नाम से खातेदारी दर्ज करने न्यायोचित आदेश पारित करावें।

अतः अपील का पैरा अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा बैरसियाला का नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.061976 को खारिज फरमाया जावें तथा नामान्तरण संख्या 03 पारित दिनांक 05.06.1976 से पूर्व के राजस्व रेकर्ड की स्थिति को कायम करने का न्यायोचित आदेश पारित करावें तथा अपीलांट के नाम से राज़स्व रेकर्ड में करने का न्यायोचित आदेश पारित करने हेतु जवाब पेश किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 3 ग्राम बैरसियाला बिना किसी सक्षम आदेश के पारित होने एवं सिलिंग नियमों के तहत् भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होने से नामान्तरण निरस्त कर दिनांक 05.06.1976 से पूर्व की राजस्व रेकर्ड की स्थिति कायम कर अधिग्रहित भूमि अपीलार्थी के हक में दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट पैरोकार राज द्वारा जवाब अपील दिनांक 19.08.2021 को दोहराते हुए अपीलाधीन नामाकरण संख्या 03 बिना किसी आदेश के पारित किए जाने से हुयी त्रुटि को सुधारा जाना उचित एवं विधिक रूप से सही होना स्वीकार किया तथा अपीलार्थी द्वारा चाहे गए अनुतोष में कोई आपति नहीं की गई।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील से संबंधित सुसंगत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अपील अपीलांट के द्वारा किए गए कथनानुसार एवं रेस्पोडेन्ट के द्वारा म्याद के बिन्दु पर कोई आपति नहीं किए जाने से अपील अंदर म्याद सुमार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

की जाती है। रेस्पोडेण्ट पैरोकार राज के जवाब पर मनन किया । पैरोकार राज नें अपील के सारे सारभूत बिन्दुओं को विधिक दृष्टि से सही होना स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 03 ग्राम बैरसियाला को अपीलाण्ट द्वारा चाहे गए अनुतोष के मुताबिक नामन्तकरण खारिज करनें का निवेदन किया है। उभय पक्ष के मध्य हस्तगत पत्रावली में विवेचनाधीन नामान्तरण की वैधानिक स्थिति को लेकर कोई भिन्न मत नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरण बिना किसी सक्षम आदेश के पारित किया जाना पाया जाता है, ऐसा बिना आधार एवम् विधि विरूद्ध पारित नामान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य है इसलिए इसे कायम रखा जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 03 ग्राम बैरसियाला स्वीकृत दिनांक 05.06.1976 विधि विरूद्ध, आधारहीन एवम् सक्षम अधिकारिता के अभाव में पारित होने से खारिज किया जाकर नामान्तकरण स्वीकृति दिनांक 05.06.1976 से पूर्व की राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति को यथावत कायम किए जाने के आदेश किए जाते हैं। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर